संख्या-4/2025/आई/860600/001-23-2099-099-74-2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-13 लखनऊ : दिनांक : जनवरी, 2025

विषय:-जनपद सिद्धार्थनगर में ग्राम सभा दुल्हा शुमाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रदेश की सीमा के अन्दर बहुउद्देशयीय हब के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1131/सीई-एचक्यू 1/आईएससीएचयूबी/बीएएस/2024-25, दिनांक 12.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सिद्धार्थनगर में ग्राम सभा दुल्हा शुमाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रदेश की सीमा के अन्दर बहुउद्देशीय हब के निर्माण के संबंध में भूमि अध्याप्ति हेतु सम्पूर्ण धनराशि रू0-36,55,36,000.00 के सापेक्ष रू0-852.56 लाख (रूपये आठ करोड़ बावन लाख छप्पन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों :-

(1) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतःभूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण संबंधी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022,दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(8) यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त कार्य के लिए विभाग द्वारा केन्द्र की Scheme for Special Assistance to States for Capital Investmentके अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को भी ध्यान में रखा गया है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,52,56,000 (रुपये आठ करोड़ बावन लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371352 अन्तर्राज्यीय /अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर प्रदेश की सीमा के अन्दर बहुउददेशीय हब का निर्माण **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- संबंधित मण्डलायुक्त।

4- जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता, बस्ती क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बस्ती।

7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग, सिद्धार्थनगर।

8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

9- वेब अधिकारी प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

10- लोक निर्माण अनुभाग-10/11

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।